



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 03.09.2026

थाना बिनौली पुलिस टीम ने चोरी से सम्बन्धित थाने के 05 अभियोगों का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ स्टार्टर, केबिल, कटआउट, ट्रांसफार्मर व मोबाईल टावर से चोरी किया सामान, एक अवैध तमंचा व एक जिन्दा कारतूस, एक कार तथा अन्य चोरी का माल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 28.08.26

को थाना बिनौली पर वादी श्री वीरसेन पुत्र ब्रह्मसिंह निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी व अन्य व्यक्तियों की ट्यूबवैलो से केबिल



कटआउट, स्टार्टर आदि सामान चोरी कर लिया हैं । इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0264/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

2- दिनांक 03.08.2026 को वादी श्री मोनू त्यागी पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम गल्हैता थाना बिनौली जनपद बागपत ने तहरीर दी कि वादी के ट्यूबवैल से केबिल व पाइप लाइन को अज्ञात चोर द्वारा वादी की ट्यूबवैलो से केबिल कटआउट, स्टार्टर आदि सामान चोरी कर लिया हैं । इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 241/26 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

3- दिनांक 17.07.26 को वादी श्री नीरज शर्मा पुत्र धर्मवीर शर्मा निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ने तहरीर दी कि वादी के ट्यूबवैल से अज्ञात चोर द्वारा वादी व अन्य व्यक्तियों की ट्यूबवैलो से केबिल कटआउट, स्टार्टर आदि सामान चोरी कर लिया हैं । इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 219/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

4- दिनांक 29.07.26 को वादी श्री हरवीर सिंह पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत ने तहरीर दी कि वादी व अन्य व्यक्तियों की ट्यूबवैलो से अज्ञात चोर द्वारा केबिल कटआउट, स्टार्टर आदि सामान चोरी कर लिया हैं। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 235/26 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

5- दिनांक 29.07.26 को वादी श्री रणवीर पुत्र राजसिंह निवासी ग्राम रंछाड थाना बिनौली जनपद बागपत ने तहरीर दी कि वादी की ट्यूबवैल से अज्ञात चोर द्वारा केबिल कटआउट, स्टार्टर आदि सामान चोरी कर लिया हैं। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 255/26 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस टीम द्वारा थाने के 1- मु0अ0सं0 264/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत, 2- मु0अ0सं0 241/26 धारा 305(ए) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत, 3- मु0अ0सं0 219/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत, 4- मु0अ0सं0 235/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत, 5- मु0अ0सं0 255/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया हैं। जिसके कब्जे से चोरी किये हुए स्टार्टर, केबिल, कटआउट, ट्रांसफार्मर व मोबाईल टावर से चोरी किया सामान, एक अवैध तमंचा व एक जिन्दा कारतूस, एक कार तथा अन्य चोरी का माल बरामद हुआ है।

नोट- बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 317(5) बीएनएस के आधार पर मु0अ0सं0 260/26 पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. वाहिद पुत्र साहिद निवासी मौहल्ला जोगियान निकट रामतल्लैया मन्दिर के पास कस्बा व थाना सरधना जिला मेरठ उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त वाहिद पुत्र साहिद निवासी मौहल्ला जोगियान निकट रामतल्लैया मन्दिर के पास कस्बा व थाना सरधना जिला मेरठ उम्र करीब 26 वर्ष के कब्जे

- 02 स्टार्टर क्षतिग्रस्त, तीन टुकड़े श्री फेस केबिल जिनकी लम्बाई 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, है। पाँच टुकड़े श्री फेस केबिल काला रंग जिनकी लम्बाई 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, आधा मीटर, एक टुकड़ा श्रीफेस केबिल ग्रे कलर लम्बाई 6 मीटर, (मु0अ0सं0 264/26 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित)

- 01 एक स्टार्टर क्षतिग्रस्त । दो टुकड़े रंग काला श्री फेस केबिल जिनकी लम्बाई 2 मीटर, 1 मीटर, और एक टुकड़े श्री फेस केबिल सफेद रंग जिनकी लम्बाई 1 मीटर, दो कटाउट (मु0अ0सं0 241/26 धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित)
- 02 BENTEX कम्पनी के क्षतिग्रस्त स्टार्टर ग्रे कलर व दो सफेद रंग के क्षतिग्रस्त कटाउट व सात टुकड़े श्री फेस केबिल जिनमे प्रत्येक केबिल की लम्बाई करीब 2-2 फीट है। तीन टुकड़े श्री फेस केबिल सफेद रंग जिनकी लम्बाई 1 मीटर, डेढ मीटर, डेढ मीटर, (सम्बन्धित मु0अ0सं0 219/26 धारा 303(2) बीएनएस, 4- मु0अ0सं0 235/26 धारा 303(2) बीएनएस, 5- मु0अ0सं0 255/26 धारा 303(2) बीएनएस)
- कॉपर धातु के कटे हुये पाईप के 40 टुकड़े, कॉपर धातु की चार-चार अंगुल की 39 पत्तिया, कॉपर धातु की 24-24 इन्च की आठ पत्तिया, कॉपर धातु के 13 साकिट, कॉपर धातु कुल 100 पत्तिया, दो पीतल की पत्तिया, सिल्वर कलर की चार सफेद धातु की चार प्लेट, सफेद धातु के पाँच गुटके, बिजली के इन्सुलेन्टर की 7 पत्तिया, जले हुये ट्युबैल के केबिल के कॉपर के 6 बन्डल 5- मु0अ0सं0 260/26 धारा 3/25 आम्स एक्ट व 317(5) बीएनएस
- ट्रांसफार्मर के लोहे के दो चेनल जिनपर पीला पेन्ट हुआ है। जिनकी लम्बाई 3-3 बालिस्त 8-8 अंगुल सम्बन्धित धारा 317(5) बीएनएस
- एक अवैध तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- एक सेन्ट्रो कार न0 UP16AS 4288
गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम-
 - 1-उ0नि0 नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
 - 2-उ0नि0 श्री महेन्द्र शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
 - 3-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
 - 4-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
 - 5-उ0नि0 श्री राहुल प्रताप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
 - 6-है0का0 222 अनुज कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
 - 7-है0का0 720 यशपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
 - 8-का0 253 आकाश थाना बिनौली जनपद बागपत ।
 - 9-का0 233 दीपक जुरैल थाना बिनौली जनपद बागपत ।
 - 10-का0 226 संजय कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
 - 11-का0 147 विनय कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 03-09-2026

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर मिशन शक्ति टीम ने गुमशुदा लडकी को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर की मिशन शक्ति टीम द्वारा गुमशुदा लडकी (उम्र करीब 11 वर्ष) को 02 घण्टे में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।



बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-मिशन शक्ति टीम थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना-खेकडा दिनांक- 03.09.2026

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 नग अवैध चाइनीज मांझा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 नग अवैध चाइनीज मांझा बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 313/26 धारा 223(b)/125 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया है । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1- नितिन पुत्र श्री ऋषिपाल पता मौ0 इन्द्रापुरी पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 26 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

- 20 नग अवैध चाइनीज मांझा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-का0 893 राहुल शर्मा थाना खेकडाजनपद बागपत ।
- 3- रि0का0 215 जगपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4- रि0का0 185 आशीष कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 03-09-2026

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस टीम ने गुमशुदा 14 वर्ष के लडके को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा 14 वर्ष के लडके को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना बिनौली पुलिस टीम



प्रेस नोट बागपत पुलिस

थाना रमाला

दिनांक – 03.09.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 163/2026 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही -

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 163/2026 धारा 137(2) बीएनएस में प्रकाश में आए अभियुक्त दुष्यंत पुत्र जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को थाना रमाला पुलिस द्वारा दिनांक 01-09-2026 को बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दुष्यंत पुत्र जसवीर सिंह निवासी भगत सिंह कालोनी थाना बल्लभगढ जिला फरीदाबाद हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सनव्वर अली थाना रमाला बागपत
- 2-रि0का0 179 रिषभ थाना रमाला बागपत
- 3-रि0का0 602 वेदांत यादव थाना रमाला बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 03.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 368/26 धारा 190/191(3)/109(1)/351(4)/352/132 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.06.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री मुहम्मद आसिफ अवर अभियंता 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र बुढेरा/गठीना स्थायी पता 208/13 हजरतगंज जाटवपुरी फिरोजाबाद थाना रसूलपुर ने थाना कोतवाली बागपत पर एक प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्त 1.हर्ष पुत्र रुपेश निवासी ग्राम लपराना थाना झिझांना जनपद शामली उम्र 22 वर्ष द्वारा आवेदक के सीयूजी फोन पर वाट्सएप्प काल



करके गोली मारने की धमकी देना तथा गाली गलोच कर, लोकसेवक को भयभीत कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के सम्बन्ध में दाखिल किया था । प्राप्तशुदा प्रार्थना पत्र व पृष्ठाकन आदेश के आधार पर मु0अ0सं0 368/26 धारा 190/191(3)/109(1)/351(4)/352/132 बीएनएस पंजीकृत किया गया जिसमें विवेचना में धारा 3/25/27 की वृद्धि की गयी है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं /वांछित अभियुक्तों/ की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 368/26 धारा 190/191(3)/109(1)/351(4)/352/132 बीएनएस से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

हर्ष पुत्र रुपेश निवासी ग्राम लपराना थाना झिझांना जनपद शामली उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अंकित चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 सनुज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

